न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, चितौड़गढ़ (राज.)
पीठासीन अधिकारी **अभिषेक गोयल,** आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 146/2023 (रा.गु.नि.)
पंजीयन दिनांक 11.08.2023
G.C.M.S. NO. :- 2023/146

सरकार जरिये पुलिस अधीक्षक जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

–प्रार्थी

बनाम

श्री शरीफ मोहम्मद पिता शफी मोहम्मद शेख मुसलमान निवासी पावटा चौक, चित्तौड़गढ़, थाना कोतवाली चित्तौड़गढ़, जिला चित्तौड़गढ़

–गैरसायल

कार्यवाही : अन्तर्गत धारा 3 राजस्थान गुण्ड़ा नियंत्रण अधिनियम, 1975

उपस्थिति : 1– अभियोजन अधिकारी, राजकीय पैरोकार
2– श्री सुनिल सुखवाल, अधिवक्ता गैरसायल

निर्णय

दिनांक 27.09.2023

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा गैरसायल के विरूद्ध राजस्थान गुण्ड़ा नियंत्रण अधिनियम, 1975 धारा 3 के तहत इस आशय की रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि गैरसायल पावटा चौक चित्तौड़गढ़, थाना कोतवाली चित्तौड़गढ़, जिला चितौड़गढ़ का निवासी होकर उक्त व्यक्ति आपराधिक प्रवृति का है। दिनों–दिन इसकी आपराधिक गतिविधियां बढती ही जा रही है।

प्रकरण संख्या 146/2023 (रा.गु.नि.)
सरकार जरिये पुलिस अधीक्षक जिला चित्तौड़गढ़ बनाम श्री शरीफ मोहम्मद पिता शफी मोहम्मद शेख निवासी पावटा चौक चित्तौड़गढ़, जिला-चित्तौड़गढ़

यह व्यक्ति आम शान्ति भंग करने, मारपीट का अवैध कृत्य करने एवं जुआ-सट्टा खेलने संबंधी अपराध करने का आदि है। इस व्यक्ति के भय से आम जनता इतनी भयभीत है कि कोई भी व्यक्ति इसके विरूद्ध गवाही देने अथवा शिकायत करने से कतराता है। अतः गैरसायल के विरूद्ध राजस्थान गुण्ड़ा नियंत्रण अधिनियम, 1975 धारा 3 के तहत कार्यवाही की जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायल को तलब कर नोटिस सुनाया गया। गैरसायल की ओर से अधिवक्ता श्री सुनिल सुखवाल ने अधिकार पत्र प्रस्तुत किया। गैरसायल को आगामी तारीख पेशी पर उपस्थित होने हेतु जमानत एवं मुचलके प्रस्तुत करने के आदेश दिये। गैरसायल द्वारा आदेश की पालना में मुचलका एवं जमानत पत्र प्रस्तुत किये जिसे बाद तस्दीक शामिल पत्रावली किया गया। गैरसायल द्वारा इस्तगासे में वर्णित आरोपों को मौखिक रूप से स्वीकार कर आज ही प्रकरण का निस्तारण करने हेतु निवेदन किया जिस पर उभय पक्ष के बहस हेतु सहमत होने पर बहस प्रकरण उभय पक्ष सुनी गई।

अभियोजन अधिकारी, पैरोकार सरकार का मुख्य कथन यह रहा कि गैरसायल आपराधिक प्रवृति का व्यक्ति है, दिनों-दिन इसकी आपराधिक गतिविधियां बढती ही जा रही है। यह व्यक्ति आम शान्ति भंग करने, मारपीट करने व जुआ-सट्टा खेलने संबंधी अपराध करने का आदि है। इस व्यक्ति के भय से जनता इतनी भयभीत है कि कोई भी व्यक्ति इसके विरूद्ध गवाही देने का साहस ही नही करता है। गैरसायल के विरूद्ध इस्तगासे अनुसार कुल 03 प्रकरण दर्ज हुए हैंः-

1- प्र.सं. 339/20	धारा 13 आर. पी. जी. ओ.
2- प्र.सं. 163/20	धारा 13 आर. पी. जी. ओ.
3- प्र.सं. 530/19	धारा 13 आर. पी. जी. ओ.

गैरसायल को उक्त सभी 03 प्रकरणों में सजा हो चुकी है। उक्त इस्तगासे के साथ प्रस्तुत दस्तावेजात से गैरसायल का आपराधिक गतिविधियों में लिप्त होना व किसी भी व्यक्ति द्वारा इसके भय के कारण साक्ष्य नही देने के संबंध में इस्तगासे में अंकित तथ्यों की पुष्टि होती है। गैरसायल के विरूद्ध दर्ज

उक्त प्रकरणों के तथ्यों के आधार पर उसे गुण्ड़ा घोषित करने के पर्याप्त आधार उपलब्ध है। अतः गैरसायल को गुण्डा घोषित करते हुए इस जिले से 6 माह की अवधि के लिए निष्काषित करने के आदेश फरमाये जावे।

गैरसायल तथा उसके अधिवक्ता ने मौखिक रूप से इस्तगासे में वर्णित आरोपों को स्वीकार करते हुए निवेदन किया कि इस्तगासे में वर्णित सभी प्रकरण पुराने होकर उनका निस्तारण हो चुका है वर्तमान में गैरसायल ने अपने में सुधार कर मेहनत मजदूरी कर शान्तिपूर्वक अपना व अपने परिवार का जीवन-यापन कर रहा है। उक्त प्रकरणों के बाद गैरसायल के विरूद्ध किसी भी धारा के आपराधिक मामले दर्ज नहीं हुए हैं। मौहल्ले या गांव में कोई शांति भंग नहीं की है। गैरसायल के खिलाफ ऐसा कोई आपराधिक मामला निर्णित नहीं हुआ है जिससे आम जनता में भय व्याप्त हो, या आम जनता की सम्पत्ति का नुकसान हो रहा हो। गैरसायल भारतीय दण्ड संहिता के अध्याय 15, 17 व अध्याय 22 के अधीन आने वाले अपराध करने की दुष्प्रेरणा मे न तो लगा हुआ है और न ही ऐसे अपराध कर रहा है। गैरसायल के विरूद्ध किसी भी व्यक्ति द्वारा कोई शिकायत पुलिस में दर्ज नही कराई है। अतः सहानुभूति का रूख अपनाते हुए प्रकरण खारिज फरमाया जावे।

हमने उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत इस्तगासा एवं उपलब्ध अन्य अभिलेखों का गहनता से अवलोकन किया। गैरसायल के विरूद्ध दर्ज उक्त प्रकरणों में से 03 ही प्रकरणों में गैरसायल को सजा होकर अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। इस प्रकार गैरसायल जिले एवं उसके किसी भाग में धारा (2) के खण्ड (ब) के उपखण्ड 1 से 8 में वर्णित कार्य करने में रत रहा है एवं उसके दुष्प्रेरण में लगा हुआ होना पाया गया है। इस प्रकार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन को स्वीकार करने के पर्याप्त आधार उपलब्ध है।

अतः राजस्थान गुण्ड़ा नियंत्रण अधिनियम, 1975 की धारा 3 के तहत गैरसायल शरीफ मोहम्मद पिता शफी मोहम्मद शेख मुसलमान निवासी पावटा चौक, चित्तौड़गढ़ थाना कोतवाली चित्तौड़गढ़, जिला चित्तौड़गढ़ को गुण्ड़ा घोषित किया जाता है एवं 15 दिवस के लिए जिला चितौड़गढ़ से निष्काषित करने का आदेश दिया जाता है। गैरसायल को पाबन्द किया जाता है कि वह दिनांक 10.10.2023 तक अपने आप को इस जिले से निष्काषित कर उदयपुर जिले में प्रवेश कर ले। गैरसायल उक्त अवधि में अपनी उपस्थिति थानाधिकारी थाना अम्बामाता, जिला उदयपुर में देता रहेगा। उक्त क्षेत्र से अन्यत्र जाने से पूर्व गन्तव्य स्थान का पूर्ण पता थानाधिकारी अम्बामाता, जिला उदयपुर के यहां दर्ज

कराने के पश्चात वहां से प्रस्थान करेगा। थाना क्षेत्र अम्बामाता में उपस्थिति के दौरान गैरसायल शिक्षण संस्थाओं, धार्मिक स्थानों मेलों, हाट बाजार, सिनेमा हाऊस व मनोरंजन के स्थानों से अपने आप को दूर रखेगा। इस अवधि में तेज धारदार हथियार, अस्त्र अथवा आयुद्ध, विस्फोटक अथवा ज्वलनशील वस्तु आदि उसके कब्जे में नही रखेगा।

'निर्णय खुले न्यायालय मे सुनाया गया।'

(अभिषेक गोयल)